

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 02/2025 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2025/108

कौशल कुमार पूनियां पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी लुदीझाबर तहसील राजगढ़
जिला चूरु।

— अपीलान्त

— बनाम —

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरु जिला चूरु।

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित:- श्री बजरंग लाल शर्मा
श्री गजेन्द्र सिंह

अभिभाषक अपीलांत

अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर
से।



निर्णय

दिनांक: 04.11.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 13.05.2019, जिसके द्वारा अपीलांत के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी।
4. अभिभाषक अपीलांत ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन कर अपीलांत


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की अपील को अंदर गियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को गध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील को अंदर गियाद शुमार किया जाता है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने वहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन आर्म्स लाईसेंस हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2019 को अपीलांट को एक नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 27.02.2019 को एक लिखित जवाब के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आत्मरक्षा हेतु आवश्यकता होने का आधार स्पष्ट करते हुए उक्त नोटिस दिनांक 23.01.2019 का जवाब रेस्पोजेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, मगर उक्त जवाब व आधारपर कोई गौर फरमाये बगैर ही रेस्पोजेन्ट द्वारा निर्णय व आदेश जैर अपील जारी फरमा दिया गया हैं। अपीलांट करवा राजगढ़ के पास मुख्य सड़क पर आशा देवी शिक्षण संस्थान तथा उक्त संस्था से संबंधित अन्य शैक्षणिक संस्थान हॉस्टल व अस्पताल का संचालन करता है। जहां समय-समय पर एकत्रित होने वाली फिस व अन्य राशियां एकत्रित होती है, जिन्हें जमा करवाने हेतु संबंधित बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं में ले जाना पड़ता है। इस प्रकार अपीलांट को अपने संस्थान की रक्षार्थ शस्त्र लाईसेंस की महती आवश्यकता रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक सभी मापदण्डों को पूर्ण करता है, मगर पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान रेस्पोजेन्ट ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से वहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।




राष्ट्रीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरु ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट इस न्यायालय में भी अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता बाबत कोई उचित कारण बताने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर